# Pie Gazette of India

असाधारण -EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PARTII—Section 3—Sub-section (i)\_

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2012 /पौष 23, 1933

No. 9]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2012/PAUSA 23, 1933

# पोत परिवहन मंत्रालय

# अधिसृचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी; 2012

सा.का.नि. 9(अ).—वाणिज्यिक पोत परिवृहन् अधिनियम, 1958 (1958 का 44) (इसकें बाद इसे उक्त अधिनियम कहार गया है) की धारा 285 की उप-धारा (1), धारा 288 की उप-धारा (1) और (2), धारा 289, धीरा 296 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 435-एक्स द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसे बात से सतुष्ट होते हुए कि उक्त अधिनियम के भाग XV-ए (मात्स्यिकी नौका) के अतर्गत बने नियमों की अपेक्षाओं का पालन करना व्यवहारिक नहीं है, एतद्द्वारा 20 मीटर से कम लबाई वाली भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं को, जैसा कि पजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज हो, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष तक की अविध के लिए वाणिज्यिक पात परिवहन (भारतीय मात्स्यिकी नौका निरीक्षण) नियम, 1988 की अपेक्षाओं से इस शर्त के साथ छूट प्रदान की जाती है कि ऐसी मात्स्यिकी नौकाएँ निम्नलिखित विनियमों तथा नियमों में निर्धारित उपकरणा को ले जाएगी तथा इन्हें कुशलतापूर्ण स्थितियों में रखा जाएगा .—

- । वाणिज्यिक पोत परिवहन (अग्निशामक उपस्कर) निग्रम, 1969 या वाणिज्यिक पोत परिवहन (अग्नि उपस्कर) नियम, 1990; यथा प्रयोजनीय
- 2 वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्र मे टक्कर की रोकथाम) नियम, 1975; और
- 3. वाणिज्यिक पोत परिवहन (जीवन रक्षक उपस्कर) नियम, 1982 या वाणिज्यिक पोत परिवहन (जीवन रक्षक उपस्कर) नियम, 1991; यथा प्रयोजनीय ।

यह अधिसूचना दिनाक 18-8-2009 की पहले वाली अधिसूचना सा का नि. 579(अ) के क्रम में जारी की जाती है।

[फा स, एस आर-11013/3/92-एमए(एमजी)-खड-Ⅱ]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF SHIPPING

# NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

G.S.R. 9(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 285, sub-sections (1) and (2) of Section 288, Section 289, sub-section (1) & (2) of Sections 296, read with Section 435-X of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is impracticable to comply with the requirements of the rules made under Part XV-A (Fishing Boats) of the said Act, hereby exempts the Indian fishing boats of less than 20 meters in length, as recorded in the certificate of registry, from the requirements of Merchant Shipping (Indian Fishing Boats Inspection) Rules, 1988 for a period of two years with effect from date of notification subject to the condition that such fishing boats carry the equipments prescribed in following rules and regulations and the same are maintained in efficient condition —

- 1. The Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1969 or Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1990, as applicable
- 2. The Merchant Shipping (Prevention of Collision at Sea) Regulation, 1975, and
- 3. The Merchant Shipping (Life Saving Appliances) Rules 1982 or Merchant Shipping (Life Saving Appliances) Rules, 1991 as applicable

The notification is issued in continuation of the earlier notification. No. G.S.R. 579(E), dated 18th August, 2009.

[F. No. SR-11013/3/92-MA (MG)-Vol. -II]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.